सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिला पंचायत रायसेन (मैन्यूल्स)

संक्षिप्त जानकारी

❖ जिला पंचायत रायसेन की स्थापना वर्ष 1982 में की गई है ।

जिले की कुल जनसंख्या 1331597 है ।

❖ इसमें जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या 1028172 है ।

अनुसूचित जाति जनसंख्या 225891 एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 205006 है

❖ जिले में कुल 7 जनपद क्रमशः सांची, गैरतगंज, बेगमगंज, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी एवं ओबेदुल्लागंज है ।

जिले की कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 498 है ।

❖ जिले में कुल ग्रामों की संख्या 1426 है ।

❖ कार्यालय का पता :– जिला पंचायत कलेक्ट्रेट परिसर सांची रोड रायसेन

❖ दूरभाष क्रमांक 07482–223212 फैक्स 07482–222558 एवं ई–मेल ceozprai@mp.gov.in

❖ कार्यालय खुलने का समय प्रातः 10.30

कार्यालय बंद होने का समय सायं 5.30

जिला पंचायत का प्रशासकीय ढांचा

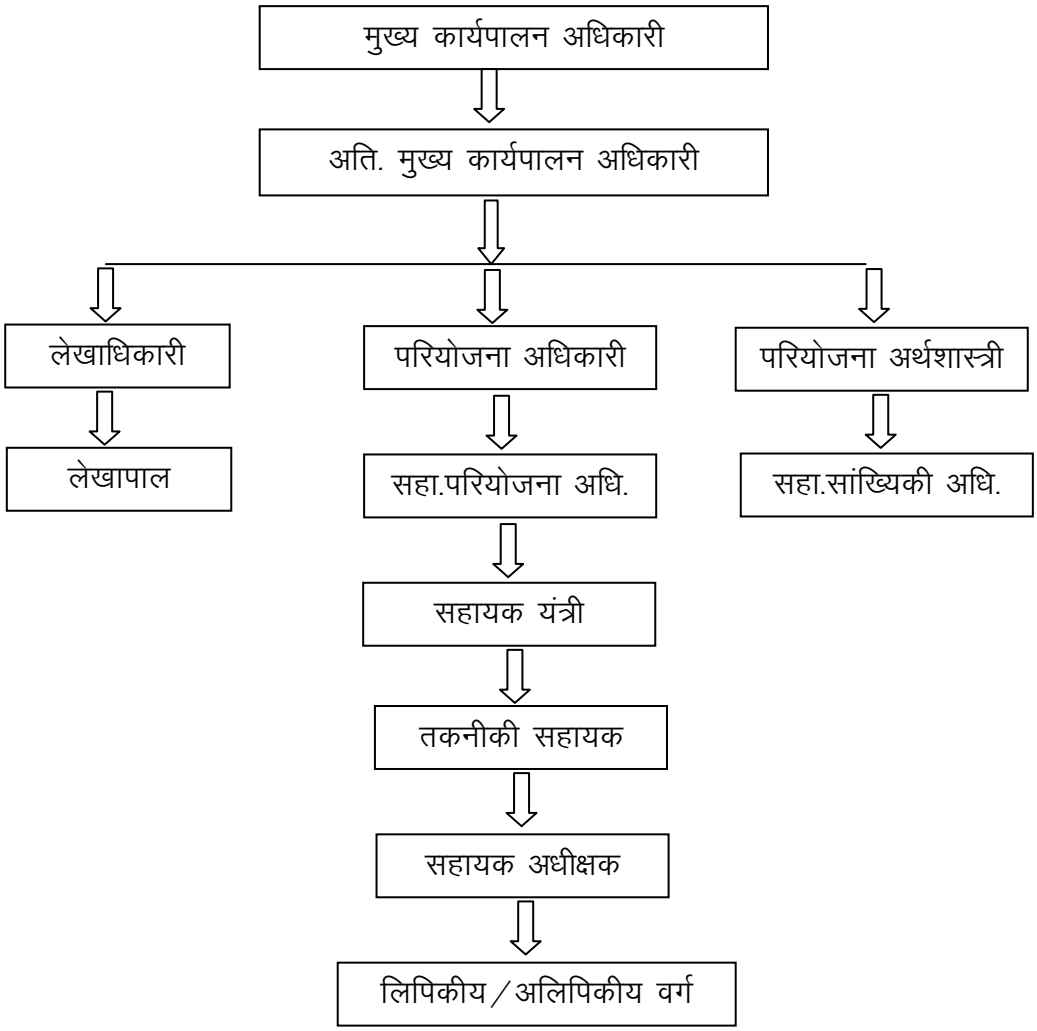

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के गठन का उद्देश्य

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन के अतिमहत्वपूर्ण विभागों में से एक है । इस विभाग के गठन का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण है ।

भारतीय संविधान में 73 वें संशोधन द्वारा पंचायतराज व्यवस्था कानून के रूप में लागू की गई । म.प्र. में 25 जनवरी 1994 से स्थानीय प्रशासन एवं विकासात्मक क्रियाकलापों में पंचायती राजस संस्थाओं की प्रभारी भागीदारी/सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंचायतीराज अधिनियम लागू किया गया है तथा ग्राम, जनपद और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था लागू की गई । भारतीय संविधान की 11 सूची में दर्शित 29 विषयो से संबंधित अधिकार तथा कर्तव्य एवं शक्तियां पंचायतराज संस्थाओं को सौंपे गये हैं । त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत की मुख्य प्रशासनिक इकाई के रूप में विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत का गठन किया गया है ।

जिला पंचायत के दायित्व एवं कर्तव्य

- जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये वार्षिक योजना तैयार करना और ऐसी योजनाओ के समन्वित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना ।
- किसी विधि द्वारा सोची गई योजना/उन योजनाओं, जो केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई हो की वार्षिक योजना तैयार करना ।
- विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं की राशि जो केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हो उन निधियों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नियत मापदण्डो के अनुसार जनपद एवं ग्राम पंचायत को आवंटित करना ।
- जनपद पंचायत के साथ ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन, मूल्यांकन, निगरानी करना एवं उनका मार्गदर्शन करना ।
- विकास संबंधी क्रियाकलापो, पर्यावरण के संरक्षण, सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निःशक्तो, निराश्रितो, महिलाओं, युवाओं, बालको तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के विकास

जनपद पंचायत के दायित्व एवं कर्तव्य

- पंचायत अधिनियम व तदंतर्गत बनाये गये नियतों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समयदपर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन रहते हुए जनपद पंचायत निम्नलिखित कार्यों के लिये युक्तियुक्त व्यवस्था करती है ।
- एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, प्रौढ शिक्षा, संचार एवं लोक संकर्म, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला एवं बाल विकास , निःशक्तों एवं निराश्रितों का कल्याण, अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडे वर्गों का कल्याण, युवा कल्याण एवं खेलकूद, परिवार नियोजन एवं ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

अधिकारी एवं कर्मचारी की शक्ति एवं कर्तव्य

- ❖ मुख्य कार्यपालन अधिकारी
  जिला पंचायत का समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण
- ❖ अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
  जिला पंचायत का समस्त प्रशासनिक नियंत्रण
- ❖ परियोजना अधिकारी(स्वरोजगार स्कंध)
  आयोजना, सामाजिक बल जुटाव, ऋण तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास कार्य
- ❖ परियोजना अर्थशास्त्री(निगरानी स्कंध)
  सभी कार्यक्रमों की निगरानी के अतिरिक्त नियमित रूप से स्वैच्छिक संस्थाओं, विशेषज्ञों जिसमें गैरसरकारी संगठन भी शामिल है के माध्यम से मूल्यांकन प्रमाणित अध्ययन करना साथ ही जिले मे गरीबी से जुड़े अन्य मुद्दों की समीक्षा
- ❖ सहायक परियोजना अधिकारी
  गतिविधि समूहों, जिला/ब्लाक/ग्राम समूह योजनाओं का क्रियान्वयन एवं ब्लाक अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए विपणन/संरचना सहित आधार संरचना का नियोजन कार्य, समूह निर्माण, क्षमता निर्माण, समूहों की निगरानी, गतिविधियों का चुनाव, रिवार्ल्विग फण्ड की राशि का जारीकरण व समन्वय कार्य।
- ❖ लेखाधिकारी(लेखा स्कंध)
  संपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों के आय व्यय का लेखा रखना एवं बजट/आडिट इत्यादि तैयार करना ।
- ❖ सहायक यंत्री(अभियांत्रिकी स्कंध)
  कार्य सामग्री के आंकलन या उपयोग हेतु नवाचारी उपाय करने का दायित्व

जिला पंचायत में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारिचो के मध्य कार्य विभाजन

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम	आवंटित कार्य
1	श्रीमती प्रमिला वाईकर	उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	प्रभारी अधिकारी, पंचायत प्रकोष्ठ
2	श्री एम. एल. सूत्रकार	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	प्रभारी अधिकारी, निर्माण
3	श्री पैट्रिक तिर्की	लेखाधिकारी	लेखा, निर्माण/आवास/जिला पंचायत
4	श्री अजीत कुमार श्रीवास्तव	जिला रोजगार गारंटी अधिकारी, मनरेगा	प्रभारी अधिकारी, मनरेगा एवं मध्यान्ह भोजन
5	डॉ. एस. डी. खरे	डी. पी. एम.	प्रभारी अधिकारी, एन.आर.एल.एम. एवं लोकसूचना अधिकारी/सामान्य आर्थिक जनगणना
6	डॉ. सारिका सिंह	संविदा परियोजना अधिकारी	शिकायतों की जाँच

7	श्री प्रदीप चक्रवर्ती	संविदा परियोजना अधिकारी	शिकायत, पी.जी.टी.एल., जनसुनवाई, सतर्कता मूल्यांकन, समाधान ऑनलाईन, विधायक हेल्प लाईन, सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन की बैठक, आवास मेले
8	श्री रमेश यादव	परियोजना अर्थशास्त्री	सहा. लोकसूचना अधिकारी एवं शिकायत
9	श्री विनोद सिंह बघेल	संविदा जिला समन्वयक	प्रभारी अधिकारी टी.एस.सी. / आवास / परख
10	श्री राधेश्याम खंगार	संविदा जिला तकनीकी विशेषज्ञ	प्रभारी अधिकारी वाटर शेड
11	श्री मनोज राय	संविदा लेखाधिकारी	लेखा, मनरेगा / डी.आर.डी.ए.
12	श्री एस. के. पारे	सहायक लेखाधिकारी	लेखा जिला पंचायत
13	श्री प्रवीण झौंपे	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	प्रभारी अधिकारी स्थापना / सहा. निर्माण शाखा
14	श्री के. एस. रघुवंशी	प्रबंधक	प्रबंधक ग्रामोद्योग
15	श्रीमती सुनीता रजक	सहायक प्रबंधक	सहायक प्रबंधक
16	श्री एल. सी. रायकवार	निरीक्षक ग्रामोद्योग	ग्रामोद्योग
17	श्री भुवन मोहरीर	कनि. सहा. ग्रामो. वि. अधि.	सहायक
18	श्री के. सी. अहिरवार	संविदा सहायक कृषि उद्यानिकी, मनरेगा	मनरेगा शाखा
19	श्री अरूण पंडोले	सहायक परियोजना अधिकारी	सहायक पंचायत प्रकोष्ठ / प्रभारी भण्डार
20	श्री सुधीर सक्सैना	सहायक परियोजना अधिकारी	सहायक, शिकायत, पीजीटील, जनसुनवाई, सतर्कता मूल्यांकन, समाधान ऑनलाईन, विधायक हेल्प लाईन, सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन की बैठक, आवास मेले
21	श्री के. के. शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी	सहायक एन.आर.एल.एम. / आर्थिक जनगणना
22	श्री जी. एस. सिसोदिया	संविदा ऑडिटर	शिकायत शाखा / सहायक, शिकायत, पीजीटील, जनसुनवाई, सतर्कता मूल्यांकन, समाधान ऑनलाईन, विधायक हेल्प लाईन, सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन की बैठक, आवास मेले
23	श्री विवेक सूर्यवंशी	संविदा ऑडिटर	प्रभारी स्टेनो
24	श्रीमती राजेश्वरी सोनी	संविदा टास्क मैनेजर	मध्यान्ह भोजन
25	श्री राजा विश्वकर्मा	संविदा सीनियर डाटा मैनेजर	मनरेगा शाखा
26	श्री देवेन्द्र मिश्रा	संविदा लेखापाल	लेखा मनरेगा
27	श्री विष्णु प्रसाद मालवीय	संविदा लेखापाल	लेखा टी.एस.सी. / निर्माण

28	श्री जी. एस. पवार	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	शिक्षा स्थापना
29	श्री एल. पी. रजक	सहा. ग्रेड –2	स्थापना शाखा
30	श्री श्रीराम ठाकुर	सहा. ग्रेड –2	मनरेगा शाखा
31	श्री मसरूर हुसैन	सहा. ग्रेड –2	लेखा जिला पंचायत/डी.आर.डी.ए.
32	श्री लखनलाल विश्वकर्मा	सहा. ग्रेड –2	आवास शाखा
33	श्री अशोक सिंगरोली	सहा. ग्रेड –2	निर्माण शाखा
34	श्री एस. पी. रोहित	सहा. ग्रेड –3	विकास लेखा
35	श्री आर. के. सोनी	सहा. ग्रेड –3	मध्यान्ह भोजन
36	श्री संदीप रायकवार	सहा. ग्रेड –3	पंचायत प्रकोष्ठ
37	श्री दीपक कीर	सहा. ग्रेड –3	वाटर शेड
38	श्री हरगोविन्द मालवीय	सहा. ग्रेड –3	आवक शाखा
39	श्री रमेश कुमार वंशकार	सहा. ग्रेड –3	जावक शाखा
40	श्री राजेश रायकवार	पी. सी. ओ.	शिकायत शाखा/सहायक, शिकायत, पीजीटीएल, जनसुनवाई, सतर्कता मूल्यांकन, समाधान ऑनलाईन, विधायक हेल्प लाईन, सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन की बैठक, आवास मेले
41	श्री मोहर सिंह गुर्जर	संविदा तकनीकी सहायक	सहायक पंचायत प्रकोष्ठ/स्टेनो
42	श्री आशीष श्रीवास्तव	संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	शिक्षा स्थापना
43	श्री अनिल किशोर शर्मा	संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	मनरेगा शाखा
44	श्री शिवनारायण विश्वकर्मा	संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	वाटर शेड
45	श्रीमती शकुन्तला चौरसिया	संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	मध्यान्ह भोजन
46	श्री अमित दुवे	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	लेखा शाखा
47	श्री प्रदीप कुमार लोधी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	पंचायत प्रकोष्ठ
48	श्री धीरज बाथम	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	टी.एस.सी. शाखा
49	श्री अशोक वर्मा	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	निर्माण शाखा
50	श्री रमाकान्त आचार्य	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	स्थापना शाखा
51	श्री सुनील विश्वकर्मा	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	आवास शाखा

निर्णय लेने की प्रक्रियां में लागू होने वाली प्रणाली, निरीक्षण तथा जवाबदेहिता की प्रणाली

- कार्यों के विभाजन के अनुसार विभिन्न शाखाओं के प्रभारियों(स्वरोजगार शाखा, निगरानी शाखा, लेखाशाखा, रोजगार शाखा, वाटरशेड, लेखा शाखा) द्वारा शासन से समय समय करते है । मु.का.अ. द्वारा जनहित एवं विकास की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सुचारू क्रियान्वयन हेतु निर्णय लिया जाता है ।

- जिला पंचायत म.प्र.पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अंतर्गत कार्य करती है । जिला पंचायत के नीतिगत निर्णय हेतु जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से चुने हुए सदस्यों की एक समिति होती है जो सामान्य सभा में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यो के नीतिगत फैसले लेती है । जिले के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतो/जनपद पंचायतों की गतिविधियां भी सम्मिलित है ।
- सामान्य सभा द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर विभिन्न एजेंसियों को गतिविधियों का संचालन कार्य आवंटित किया जाता है जिसमें ग्राम पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागों की प्रमुख भूमिका होती है ।
- जिला पंचायत द्वारा गतिविधियों के संचालन की नियमित निगरानी की जाती है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा भी कार्यो की संख्या का 10 प्रतिशत निरीक्षण स्वयं किया जाता है यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितताये पाई जाती है तो उनके द्वारा प्रशासकीय कार्यवाही की जाती है।
- विभिन्न शाखा प्रभारियों द्वारा उन्हे सौंपी गई योजनाओं का निरीक्षण एवं मूल्यांकन समय समय पर नियमित रूप से किया जाता है एवं निरीक्षण की जानकारी मु.का.अ.को दी जाती है ।मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है ।

मानदण्डों का निर्धारण कृत्यों के निर्वहन के लिये

- केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के पृथक पृथक दिशा निर्देश तय किये गये है इन्ही दिशा निर्देशों का पालन कृत्यों के निर्वहन हेतु किया जाता है (संबंधित शाखा में उपलब्ध है)
- कृत्यों का पालन दिशा निर्देशों में दी गई समय सीमा में किया जाता है ।
- दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो रहा है कि नही इसका नियमित रूप से मूल्यांकन एवं समीक्षा की जाती है ।

नियमन, निर्देश, निर्देशिका एवं रिकार्ड अभिनिर्धारित या नियंत्रण में या उसके कर्मचारियो द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये इस्तेमाल होने के लिये ।

- केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है
- पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम का पालन किया जाता है ।
- साथ ही संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पालन हेतु जानकारी प्रशिक्षण के द्वारा दी जाती है ।

दस्तावेज प्रवर्गीकरण का कथन जो अनिर्धारित या नियंत्रण में हो ।

- योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक रिकार्ड पृथक पृथक शाखा प्रभारी स्तर पर/शाखा स्तर पर रखा जाता है।
- अभिलेखों का त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक निरीक्षण किया जाता है तथा वार्षिक भौतिक सत्यापन भी किया जाता है ।

लोक सदस्यो से नीतियो के विनिर्मित के संबंध में परामर्श करने की व्यवस्था का विवरण

- जिला पंचायत के अंतर्गत विभिन्न विभागों कार्यों के लिये परामर्श एवं सुचारू संचालन हेतु सात समितियां गठित की गई है।

जिला पंचायत का नाम	स्थायी समितियों के नाम	स्थायी समिति में सदस्यों के नाम		समिति के सभापति का नाम
1	2	3		4
जिला पंचायत रायसेन	**सामान्य प्रशासन समिति**	1	श्रीमति ज्ञानवती लोधी	**श्रीमति अनीता किरार**
		2	श्री नेतराम कौरव	
		3	श्रीमति प्रियंका	
		4	श्रीमति विनीता यादव	
		5	श्री फूलसिंह राजपूत	
		6	श्रीमति रामदेवी	
जिला पंचायत रायसेन	**कृषि समिति**	1	श्रीमति आशा गरूड़	**श्री नेतराम कौरव**
		2	श्रीमति नरबदा बाई	
		3	श्रीमति प्रियंका	
		4	श्रीमति रामदेवी	
		5	श्रीमति सुषमा	
		6	श्री मदनलाल चौधरी	
जिला पंचायत रायसेन	**शिक्षा समिति**	1	श्री सुगरलाल धुर्वे	**श्रीमति ज्ञानवती लोधी**
		2	श्री फूलसिंह राजपूत	
		3	श्री नेतराम कौरव	
		4	श्रीमति विनीता यादव	
		5	श्रीमति सुषमा	
		6	श्रीमति आशा गरूड	
जिला पंचायत रायसेन	**संचार एवं संकर्म समिति**	1	श्री मदनलाल चौधरी	**श्रीमति प्रियंका**
		2	श्रीमति पार्वती बाई	
		3	श्री नेतराम कौरव	
		4	श्रीमति विनीता यादव	
		5	श्रीमति सुषमा	
		6	श्रीमति विध्या राजे	
जिला पंचायत रायसेन	**सहकारिता एवं उधोग समिति**	1	श्रीमति राधा इरपाचे	**श्रीमति विनीता यादव**
		2	श्री मदनलाल चौधरी	
		3	श्रीमति प्रियंका	
		4	श्रीमति बीना	
		5	श्रीमति नरबदा बाई	
		6	श्रीमति विध्या राजे	
जिला पंचायत	**महिला एवं बाल कल्याण तथा**	1	श्रीमति रामदेवी	**श्री फूलसिंह राजपूत**
		2	श्रीमति राधा इरपाचे	

रायसेन	**स्वास्थ्य समिति**	**3**	श्रीमति पार्वती बाई	
		4	श्रीमति बीना	
		5	श्रीमति नरबदा बाई	
		6	श्री सुगरलाल धुर्वे	
जिला पंचायत रायसेन	**वनसमिति**	**1**	श्रीमति बीना	**श्रीमति रामदेवी**
		2	श्री फूलसिंह राजपूत	
		3	श्रीमति आशा गरूड़	
		4	श्रीमति पार्वती बाई	
		5	श्री सुगरलाल धुर्वे	
		6	श्रीमति राधा इरपाचे	

प्रत्येक समिति का एक सभापति होता है एवं छैः कार्यकारी सदस्य होते है ।

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आम जनता से परामर्श एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रतिदिन नियमित रूप से समय निर्धारित किया गया है ।
- इसके अतिरिक्त बैंक अधिकारी, विभागों के प्रमुख, गैर सरकारी संगठन, मान जनप्रतिनिधियों(जिले के) का भी परामर्श समय समय पर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त नीतिगत, प्रशासनिक कार्यों के लिय जिला कलेक्टर का परामर्श लिया जाता है।

8. उन बोर्डों परिषदों, कमेटियों तथा निकायों जिनमे दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके संगठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आश्य के लिये रखे गये है, का विवरण एवं इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डों परिषदों, कमेटियो तथा अन्य निकायों के सम्मिलन आम जनता के लिये सार्वजनिक रूप से खुले है ।

- जिला पंचायत में ग्रामीण क्षेत्रों से चुने हुए 17 सदस्यों की एक समिति होती है इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त इस समिति में जिले के समस्त सांसद,विधायक, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष सदस्य होते हैं ।

कं.	नाम	पद	निर्वाचन क्षेत्र का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**श्रीमति अनीता किरार**	**अध्यक्ष**	**5–देहगांव**
2	**श्रीमति ज्ञानवती**	**उपाध्यक्ष**	**8–कस्वा बम्होरी (सिलवानी)**
3	**श्रीमति पार्वती बाई**	**सदस्य**	**1– दीवानगंज (सॉची)**
4	**श्रीमति बीना**	**सदस्य**	**2– पैमत**
5	**श्रीमति रामदेवी**	**सदस्य**	**3–मेहगांव**
6	**श्री मदनलाल चौधरी**	**सदस्य**	**4–हरदौट (गैरतगंज)**
7	**श्रीमति विनीता**	**सदस्य**	**6–चांदवड़ (बेगमगंज)**
8	**श्रीमति विघ्या राजे**	**सदस्य**	**7–घानाकलां**
9	**श्री सुगरलाल धुर्वे**	**सदस्य**	**9–सियरमउ**
10	**श्री नेतराम कौरव**	**सदस्य**	**10–छातेर (उदयपुरा)**
11	**श्रीमति आशा गरूड**	**सदस्य**	**11–देवरी**
12	**श्रीमति नरबदा बाई**	**सदस्य**	**12–खरगोन (बाड़ी)**
13	**श्रीमति रूकमणी, नरेश पटेल**	**सदस्य**	**13–भारकच्छकलां**

14	**श्रीमति सुषमा**	**सदस्य**	**14–गगनबाड़ा**
15	**श्रीमति प्रियंका**	**सदस्य**	**15–गौहरगंज (औबेदुल्लागंज)**
16	**श्रीमति राधा इरपाचे**	**सदस्य**	**16–नूरगंज**
17	**श्री फूलसिंह राजपूत**	**सदस्य**	**17–उमरावगंज**

- जिला पंचायत के सुचारू संचालन हेतु इनसे नियमित परामर्श एवं कार्यों का अनुमोदन लिया जाता है ।
- सम्मेलनों के ब्यौरे आम जनता के लिये पहुंच योग्य है ।

9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों/नियोजन की निर्देशिका

- अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका शासन द्वारा निर्धारित की गई है अतः सेवा शर्त नियमों का पालन किया जाता है ।

(विस्तृत जानकारी कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है)

10.मासिक पारिश्रमिक जो प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है उसके विनियमों मे उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे/प्रतिकर की पद्धति शासन द्वारा निर्धारित किये गये वेतनमानों/मानदण्डो के अनुरूप भुगतान किया जाता है ।

(विस्तृत जानकारी कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है)

11.अभिकरण का आवंटित बजट, समस्त योजनाओं के प्रस्तावित खर्च, भुगतान अदायगी इत्यादि

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

फाइल प्रक्रिया

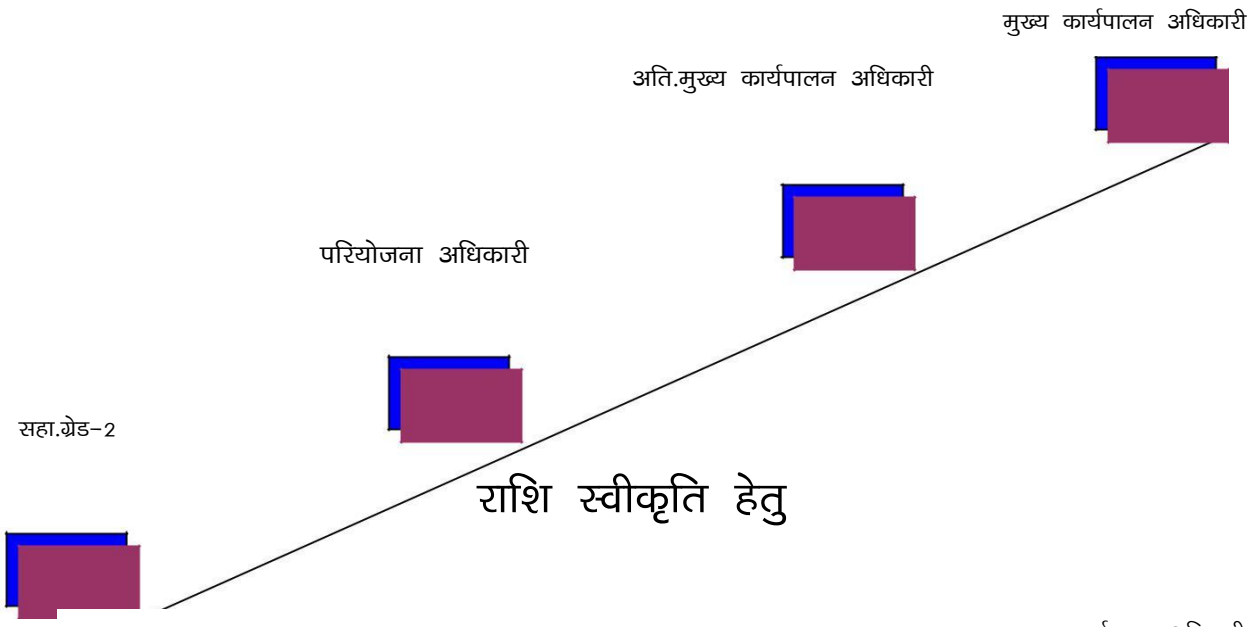

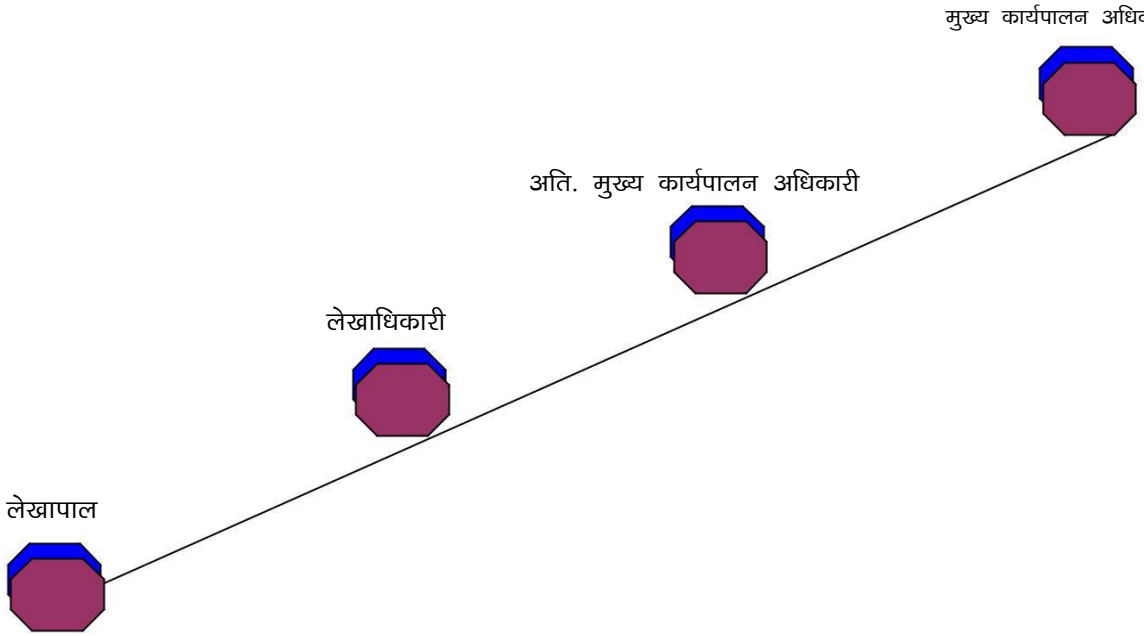

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

- मिशन का उद्देश्य निर्धनों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिये स्वसहायता समूहों के रूप में गठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी आधारित संरचना निर्माण, विपणन के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर लाने का कार्यक्रम है ।
- मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूह गठित कर छोटे छोटे उद्यम लगाने हेतु परियोजनाये तैयार की जाती है इसके अंतर्गत उन्हे चक्रिय निधि, ऋण एवं ब्याज अनुदान दिया जाना प्रावधानित है ।
- वित्तीय प्रबंधन में 75 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्रदाय की जाती है ।

वित्तीय प्रवितेदन (वर्ष 2015–16)

वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियॉ	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
153.00	—	153.00		153.00	118.44	78

मिशन के अंतर्गत जिले में कुल सक्रिय समूह 1705 है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 297 स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेज कर आजीविका से जोडा गया है।

(विस्तृत जानकारी कार्यालय में पृथक से उपलब्ध है)

इंदिरा आवास योजना

1. योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।
2. यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है जिसमें 75 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन द्वारा एवं 25 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
3. योजनांतर्गत राशि रू. 70000 प्रति हितग्राही के मान से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है।
4. योजनांतर्गत 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाता है साथ ही 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को सामान्य वर्ग में से इंदिरा आवास देने का प्रावधान है।
5. योजना में प्राथमिकता महिला को तथा विकल्प के तौर पर संयुक्त पति पत्नि के नाम आवास के साथ शौचालय एवं धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण भी अनिवार्य है।
6. वर्ष 2015–16 में 2039 का लक्ष्य प्राप्त। वित्तीय वर्ष में राशि जनपद पंचायत से FTO कार्यालय से सीधे हितग्राहियों के खाते में जारी की जा रही है। तदानुसार लक्ष्य के लिये 720 हितग्राहियों की सूची स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु जनपद कार्यालय को भेजा गया है।
7. अंत्योदय योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले आवासहीन परिवारों को ही लाभान्वित किया जाता है।

इंदिरा आवास योजना(नवीन)/मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना(अपना घर) निर्माण के लक्ष्य की स्वीकृति हेतु

फाइल प्रक्रिया

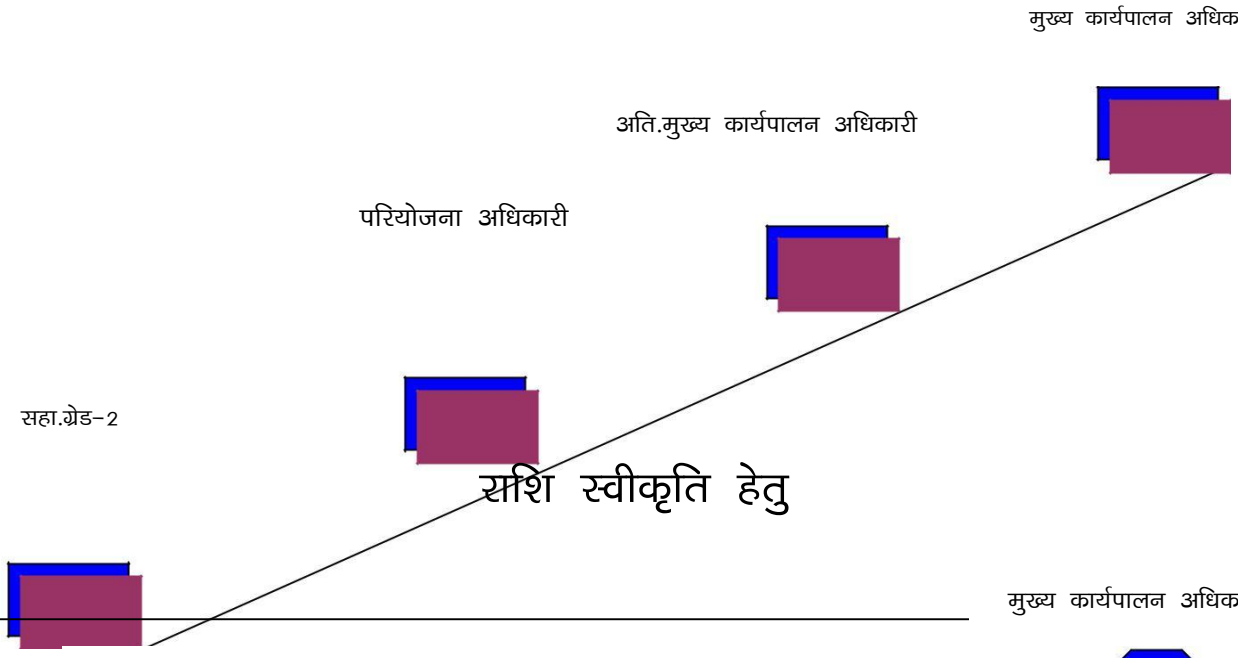

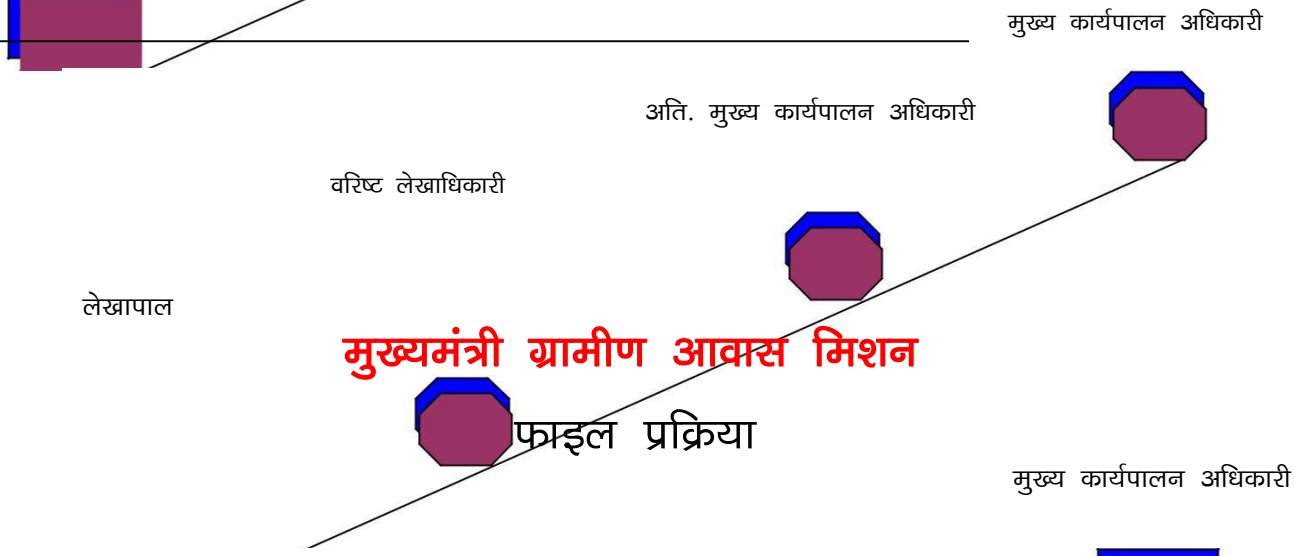

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

फाइल प्रक्रिया

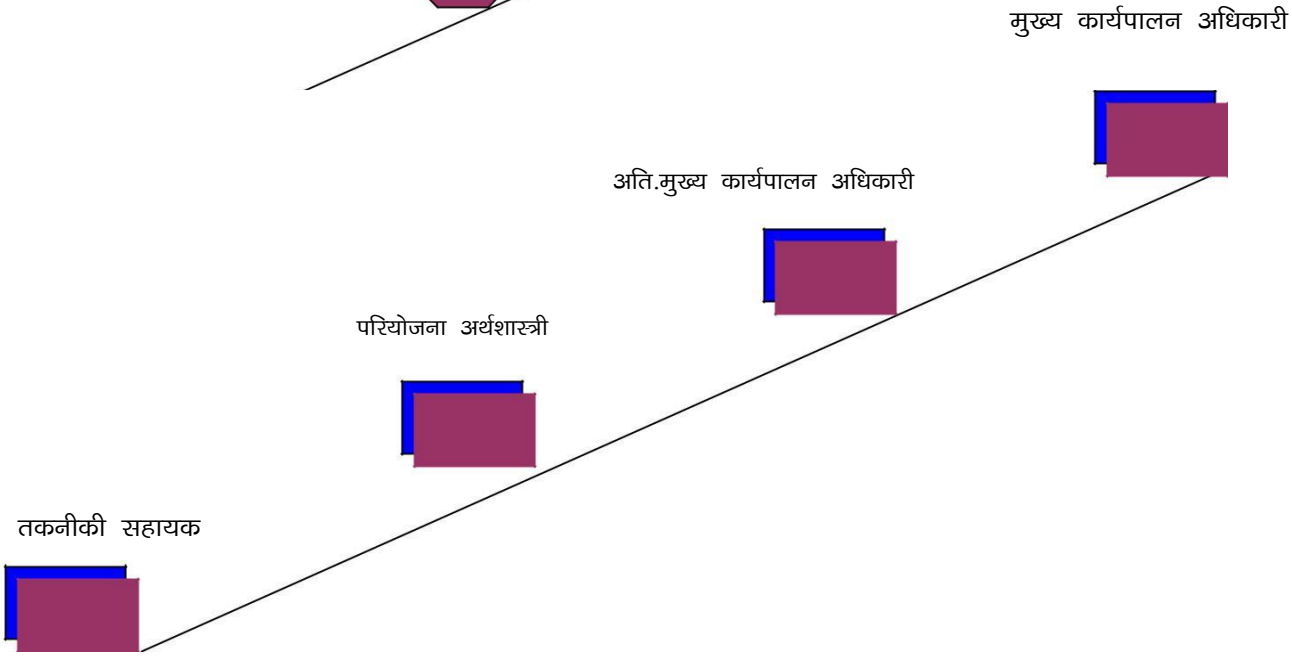

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन योजना म.प्र. एक पूर्णतः मांग आधारित स्वभागीदार ऋण सह–अनुदान योजना है। योजनांतर्गत हितग्राही द्वारा विभिन्न अभिन्यासों के अनुरूप स्वयं आवास का निर्माण किया जाएगा, हितग्राही की पात्रतानुसार पुनभुर्गतान क्षमता के आधार पर बैंक द्वारा पन्द्रह वर्षीय ऋण प्रदान योजना है।

आवासीय इकाई लागत–

1. आवास की न्यूनतम लागत 1,20,000.00 मात्र होगी।

2. हितग्राही का योगदान 20,000.00 रूपये न्यूनतम्।

3. बैंक का अनुदान 50,000.00 रूपये ।

4. शासन का अनुदान 50,000.00 रूपये ।

हितग्राही आवश्यकतानुसार स्वयं की राशि बढाकर एवं अधिक बैंक के ऋण लेकर भी आवास निर्माण कर सकता है।

लागत– (शौचालय निर्माण हेतु)

प्रस्तावित लागत में न्यूनतम 225 वर्गफीट आवास के साथ शौचालय निर्माण बी.पी.एल. हितग्राहियों को टी.एस.सी. 4600.00 रूपये मनरेगा निर्मल वाटिका के अंतर्गत लागत रूपये 5400.00 स्वीकृत किये जा सकते है।

पात्रता–

1. आवासहीन कच्चे/अर्धपक्के आवास में रहने वाले ग्रामीण इस योजना के पात्र होंगे।
2. पात्र हितग्राही जो अधिकतम एक हेक्टेयर कृषि भूमि धारक परिवार है। अथवा जिनकी सभी स्त्रोतों से अधिकतम आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक है।
3. हितग्राही जिनके पास आवास निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध है। अथवा जो शासन के आवास हेतु भूमि की पात्रता रखते है।
4. वयस्क परिवार जिसका स्वयं का कोई आवास सामान्यतः निवासरत ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हैं। आवास निर्माण के लिये हितग्राही के पास भूमि/प्लाट होना आवश्यक है।
5. कच्चा/अर्धपक्का आवास के स्थान पर योजनांतर्गत आवास निर्माण हितग्राही कर सकेगा। परन्तु आव यक है कि 225 वर्गफीट में निर्माण किया जाये।
6. हितग्राही अपनी स्वामित्व की खाते की भूमि पर भी इन आवासों को बनाने के लिये पात्र होग।

वित्तीय प्रतिवेदन (2015–16)

जिले को प्राप्त लक्ष्य	बैक को प्रेषित प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण	वितरण
5000	6164	2313	21

महात्मां गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी–स्कीम

फाइल प्रक्रिया

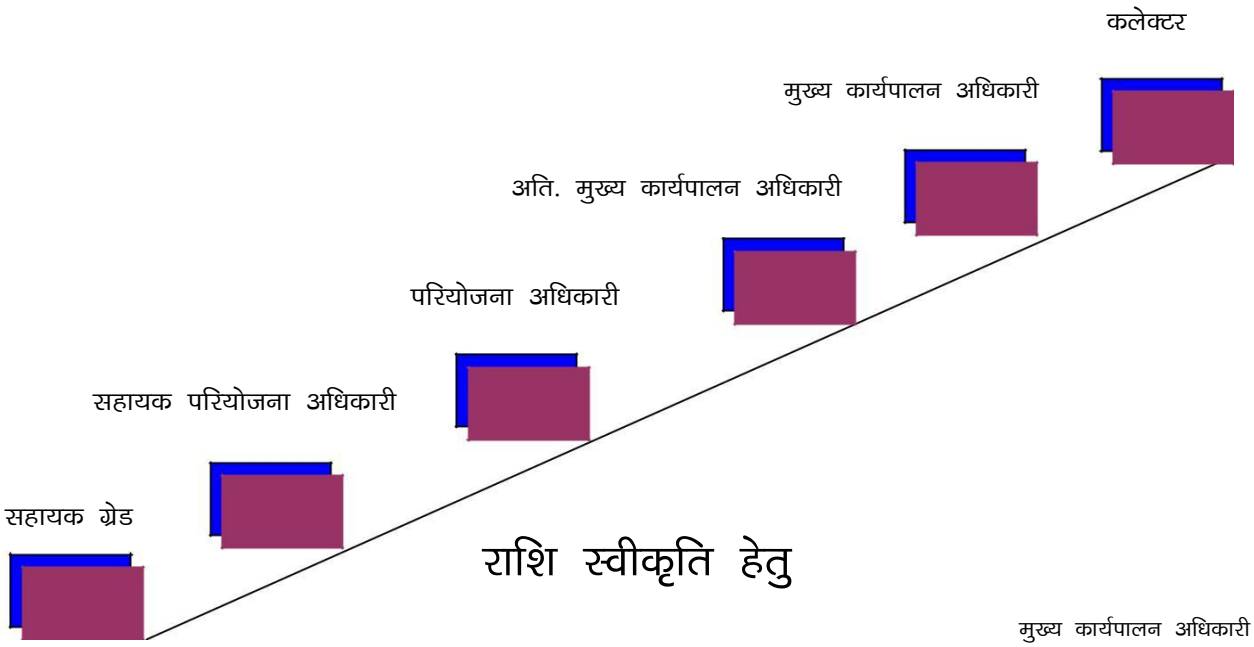

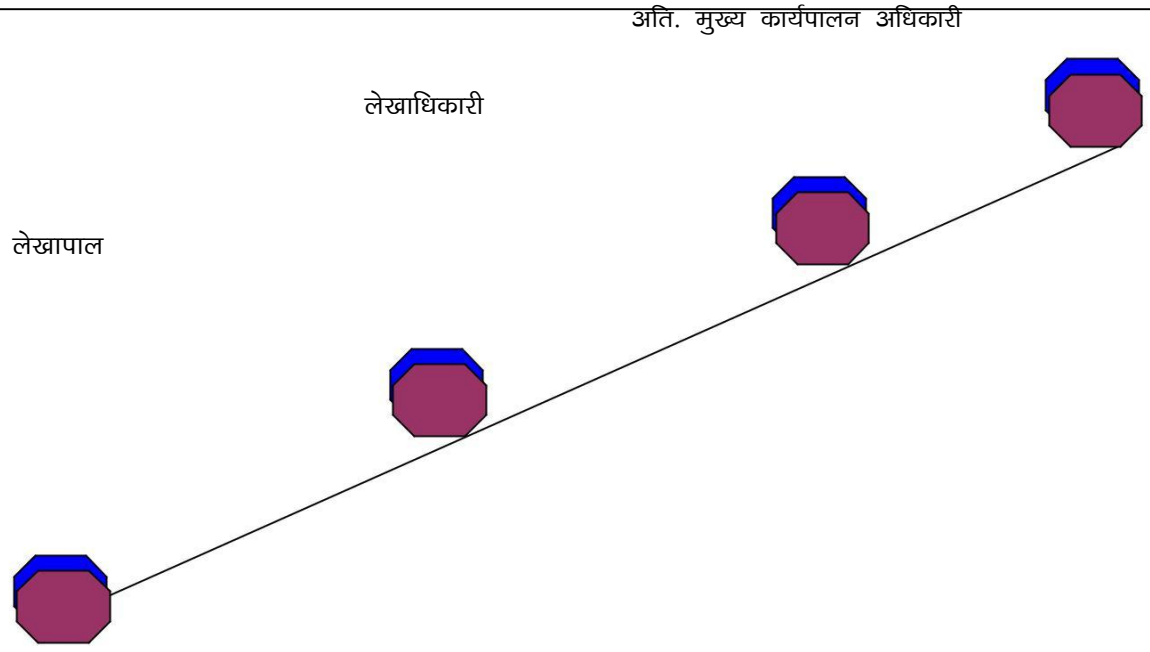

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम–म.प्र.

- ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.–एम.पी.) जिले में 01.04.2008 से लागू की गई है योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन का तथा वन अधिकार पत्र धारको को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसंपत्ति का सृजन करना है।''
- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को, जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन । काम के इच्छुक परिवार ग्राम पंचायत में अपने वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग और पता देकर पंजीकरण करवा सकते है। पंजीकरण 5 वर्ष तक वैध पंजीकृत परिवारों को रोजगार प्राप्त करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेंज जॉब कार्ड।
- पंजीयत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब कार्ड जारी किया जायेगा, जिसमें संबंधितों का पूर्ण विवरण होगा। रोजगार पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिये वैध एवं प्रत्येक 5वर्ष समाप्ति के बाद एक माह के अंदर ग्राम पचांयत द्वारा नवीनीकृत। जॉबकार्ड प्राप्त न होने पर अथवा प्रविष्टि पर आपत्ति होने परसरपंच ग्राम पंचायत को आपत्ति प्रस्तुत कर निराकरण की व्यवस्था।
- महिलाओं एवं निः शक्तजनों को प्राथमिकता योजनांतर्गत कुल आवेदनों में से कम से कम 1तिहाई महिलाएं लाभांवित करने का प्रावधान। रोजगार की उपलब्धता – प्रथम आओ प्रथमपाओ – के सिद्धांत पर आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिनों के अंदर ग्राम पचांयतों द्वारा रोजगार दिया जायेगा। रोजगार निवास स्थान के 5 किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान। यदि पात्र आवेदक को कार्य की मांग के 15 दिनों केभीतर रोजगार नही मिलता है तो उसे निर्धारित शर्त के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।
- यदि वह व्यक्ति आवंटित कार्य के लिए उपस्थित नही होता है तो बेरोजगारी भत्ते का आगे हकदार नही होगा। राज्य शासन द्वारा निर्धारित अथवा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य के कृषि श्रमिको के लिए अधिसूचित मजदूरी पाने का हकदार। *वर्तमान में दिनॉक 01.04.2015 से मजदूरी राशि रू 159 प्रति श्रमिक प्रति दिवस के मान से मजदूरी भुगतान के समय जॉबकार्ड होना अत्यंत आवश्यक* / भुगतान 15 दिवस की समय सीमा में।
- यदि आवेदक को निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार दिया जाता है तो न्यूनतम मजदूरी सहित 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी। आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, छः वर्ष से अधिक आयु के 5 अधिक बच्चो झूलाघर की व्यवस्था की जायेगी। कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु अथवा अपंगता की दशा में अधिकतम रू 25000 तक क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान है।

योजनांतर्गत निम्न लिखित कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगाः–

1. जल संवर्धन एवं संरक्षण
2. सूखे की रोकथाम (वनीकरण एवं पौधरोपण सहित)
3. सिंचाई, नहर (माईक्रो एवं लघु सिचाई कार्यो सहित)
4. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभांवित हितग्राहियों की अथवा भूमि सुधार के हितग्राहियों अथवा अजा/अजजा अथवा गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर सिचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
5. पंरपरागत जल स्त्रोत संरचनाओं का पुररुद्धार (तालाबों से गाद निकालने सहित)
6. भूमि विकास के कार्य
7. बाढ नियंत्रण एंवं जल निकासी संबंधी कार्य
8. बारहमासी ग्रामीण पहुंच मार्ग (उपयोजनांतर्गत)

कार्यक्रम ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित रहेगी तथा मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनी की पूर्ण रूपेण मनाही रहेगी। हितग्राही मूलक कार्यो हेतु उपयोजना कपिलधारा,

भूमिशिल्प, नंदन फलोद्यान, वान्या, रेशम, मीनाक्षी, निर्मल नीर, निर्मल वाटिका, शैलपर्ण, सहस्त्रधारा, कामधेनु, क्रीडांकन, शांतिधाम आदि उपयोजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों का लाभांवित करना इत्यादि ।

वित्तीय प्रतिवेदन

1.4.15 को शेष राशि	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियॉ	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
191.69	1602.15	178.08	1972.52	2.82	1975.39	1595.95	80.79

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

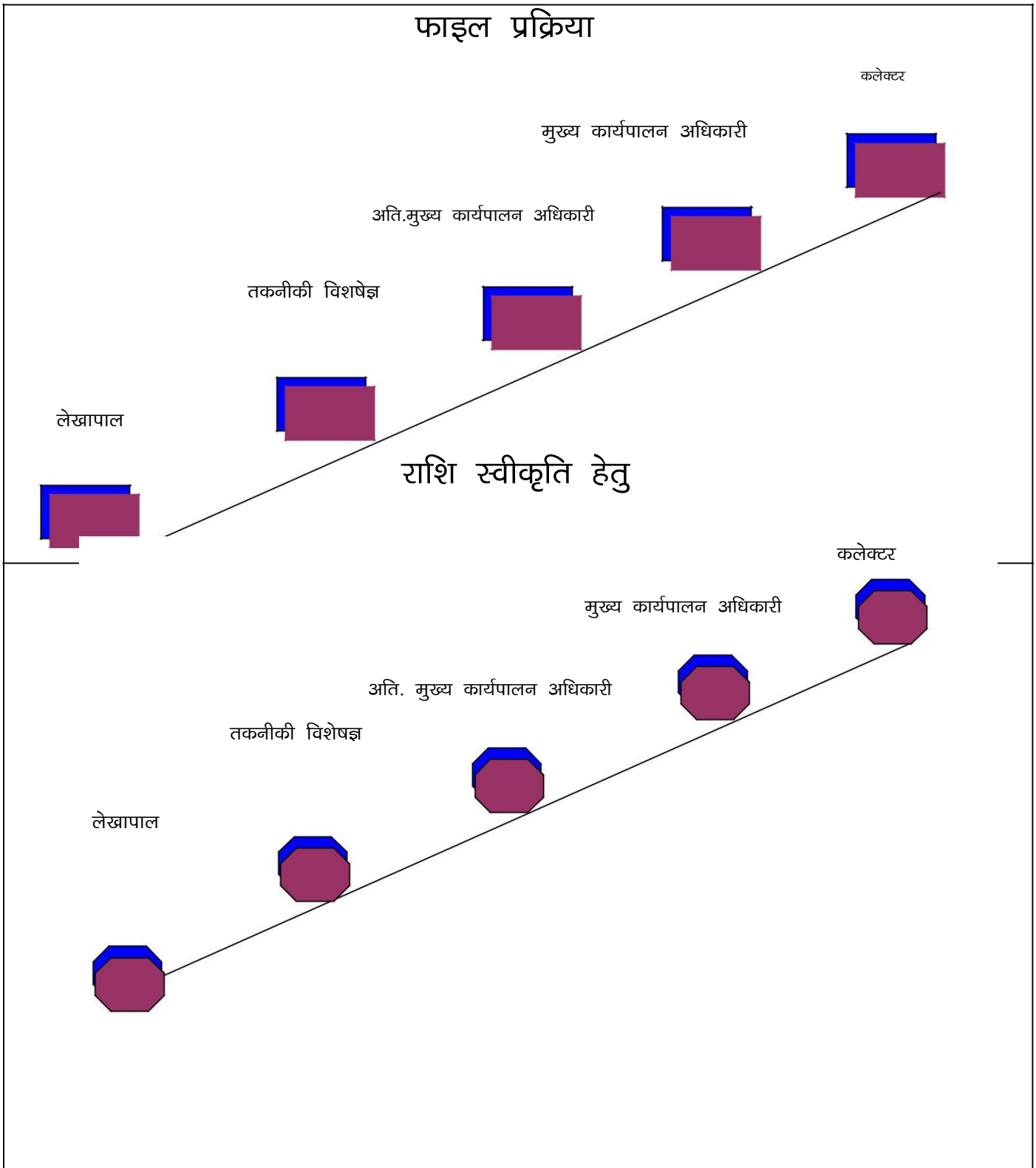

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड विकास (एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड विकास एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत रायसेन जिले में वर्ष 2010–11 में 04 परियोजनाएं क्रमशः स्वीकृत की गई है, जो रायसेन जिले के सिलवानी विकास खण्ड़ में परियोजना क्र. –1, 2 एवं गैरतगंज विकास खण्ड़ में परियोजना क्र.–3 तथा सांची विकास खण्ड़ में परियोजना क्र.–4 जिनका स्वीकृत क्षेत्रफल 19862 हेक्टेयर एवं स्वीकृत लागत राशि रूपये 2383.44 लाख है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड विकास एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत रायसेन जिले में वर्ष 2014–15 में 05 परियोजनाएं क्रमशः स्वीकृत की गई है, जो रायसेन जिले के बेगमगंज विकास खण्ड़ में परियोजना क्र. –5, 6 एवं औबेदुल्लागंज विकास खण्ड़ में परियोजना क्र.–7, 9 तथा सांची विकास खण्ड़ में परियोजना क्र.–8 जिनका स्वीकृत क्षेत्रफल 25200 हेक्टेयर एवं स्वीकृत लागत राशि रूपये 3024.00 लाख है,

परियोजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय नियोजनः–

क्र.	प्रावधानित मद का नाम	मदवार राशि का प्रतिशत
1	2	3
1	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.)	1%
2	संस्थापन तथा क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण)	5%
3	आस्था मूलक कार्य	4%
4	प्रशासनिक लागत	10%
5	जलग्रहण विकास कार्य	56%
6	आजीविका संबंधी कार्यकलाप	9%
7	उत्पादन प्रणाली तथा अति लघु उद्यम	10%
8	निगरानी एवं मूल्यांकन	2%
9	समेकन चरण	3%
योगः–		**100%**

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

फाइल प्रक्रिया

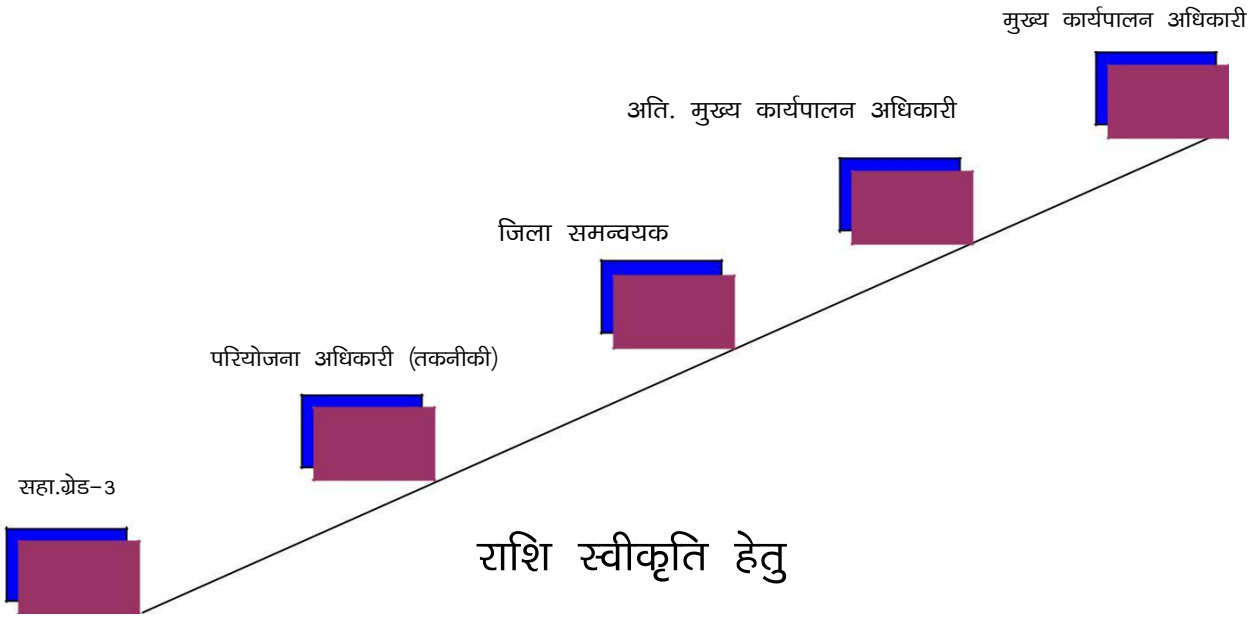

राशि स्वीकृति हेतु

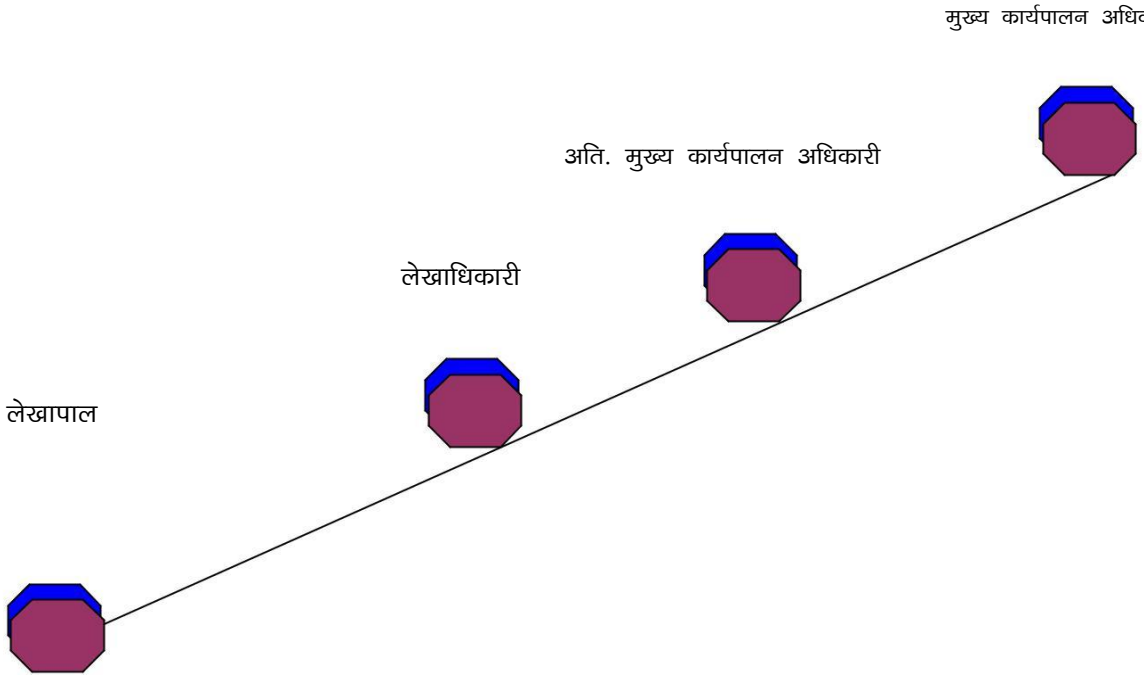

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) :

भारत सरकार द्वारा निर्मल भारत अभियान को नवीन कार्यक्रम **''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)''** के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का **शुभारंभ दिनांक 02 अक्टूबर 2014** को किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देश एवं घटकवार प्रावधान है :–

1. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु पूर्व में प्रावधानित राशि रूपये 10000/– को रू. 12000/– किया गया है। इस राशि से व्यक्तिगत शौचालय के साथ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु पानी की टंकी एवं हाथ धुलाई वाश वेसिन की इकाई भी लगाना अनिवार्य है।
2. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में पूर्व में प्रचलित मनरेगा से सहयोजन समाप्त कर दिया गया है। शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि रू. 12000/– स्वच्छ भारत मिशन से ही देय होगी।
3. व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की राशि के लिये रू. 9000/– (75 प्रतिशत) केन्द्रीय मद से तथा राशि रू. 3000/– (25 प्रतिशत) राज्य के मद से प्रदाय किया जायेगा।

(राशि लाख में)

क्र.	घटक	वर्ष 2015–16 की भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			वर्ष 2015–16 की वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि		
		वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	व्यक्तिगत शौचालय	44958	14780	32.88	5394.96	1014.59	18.80

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

फाइल प्रक्रिया

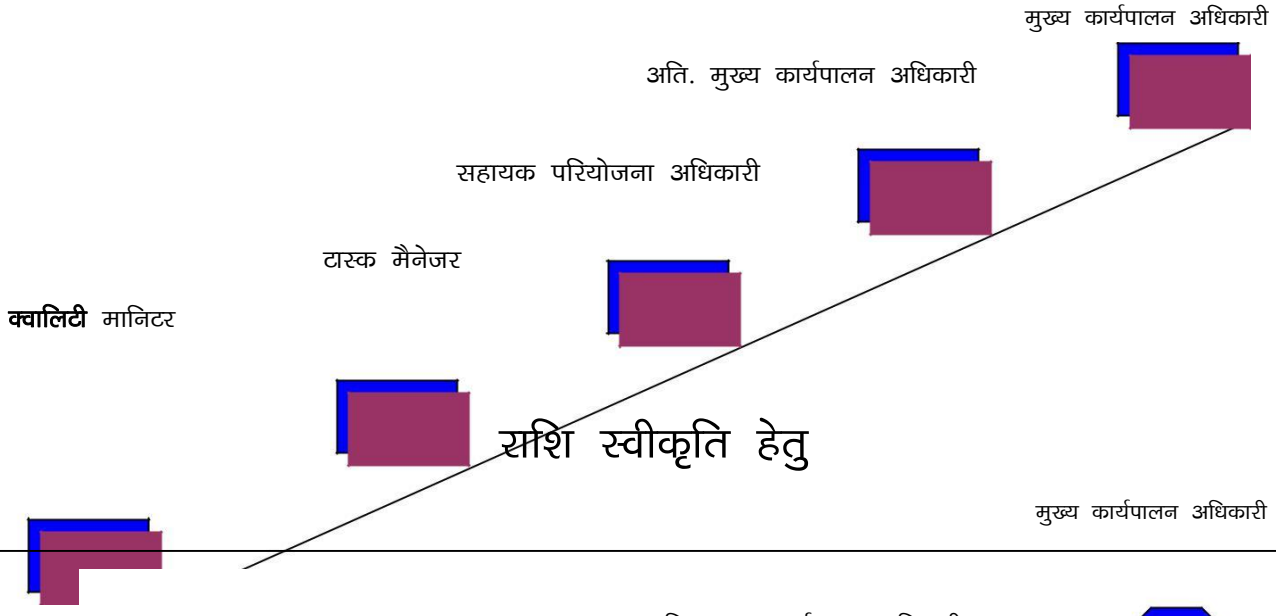

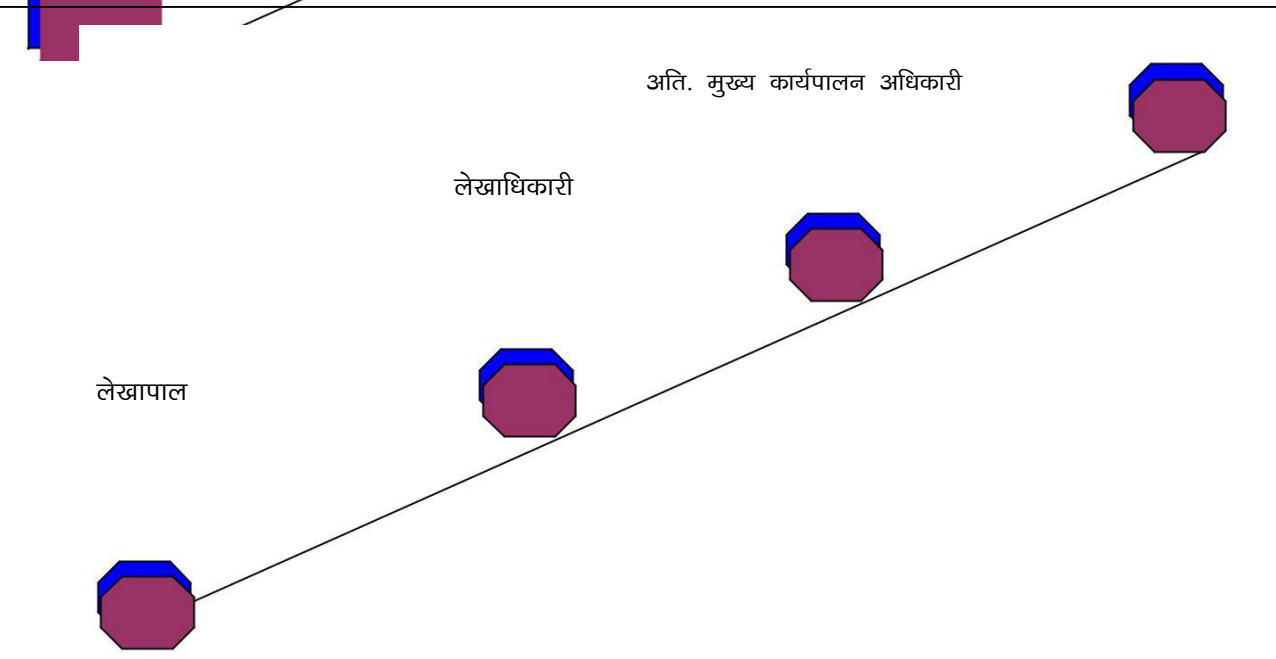

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

- यह केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या मे वृद्धि हेतु लागू की गई है । इसके अंतर्गत समस्त विकासखंडो में भोजन पकाकर छात्र – छात्राओं में वितरित किया जाता है।
- अनाज के रूप मे 100 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा सीधे जिले को उपलब्ध कराया जाता है ।

शाला का स्तर	1.4.15 को शेष	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत	कुल लाभन्वित छात्र/छात्राओं की संख्या
प्राथमिक	505.52	480.79	160.27	641.06	0	1146.58	293.90	26	76696
माध्यमिक	220.50	252.08	84.03	336.11	0	556.61	213.99	38	46735

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण योजना

- ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु सरकार द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है ।

वित्तीय प्रतिवेदन(वर्ष 2014–15 एवं 2015–16)

वर्ष	1.4.15 को शेष	वर्ष में प्राप्त केन्द्रांश	वर्ष में प्राप्त राज्यांश	योग	अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
14-15	2.61	30.48	10.16	43.25	80.65	123.90	122.79	99
15-16	1.114	19.22	6.41	26.74	79.00	105.744	102.72	97

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

1. योजना क्या है –
   निराश्रित व्यक्तियों को जीविकोपार्जन के लिये आर्थिक सहायता पहुँचाना ।
2. पात्रता की शर्ते :–
   म.प्र. के मूल निवासी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले
   - 60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध ।
   - 18 से 39 वर्ष की विधवा ।
   - 18 से 59 वर्ष की परित्यक्तता महिला ।
   - 06 से 18 आयु के 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्त व्यक्ति
3. क्या लाभ मिलेगा :–
   150/– रू. प्रतिमाह की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ।
4. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 15732 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

1. योजना क्या है –
   यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के माध्यम से संचालित है।
2. पात्रता की शर्ते :–
   जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
3. क्या लाभ मिलेगा :–
   - 60 वर्ष एवं 65 वर्ष से कम आयु के वृद्धो को प्रतिमाह 200/– रू दिये जाते हैं।

- 65 से 80 वर्ष से कम आयु के वृद्धों को प्रतिमाह 200/– रू केन्द्र सरकार एवं 75/– रू. राज्य सरकार कुल 275/– दिये जाते हैं। (
- 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धो को प्रतिमाह 500/– रू दिये जाते है।

4. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 27813 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

1. योजना क्या है –
   यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से संचालित है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
2. पात्रता की शर्ते :–
   - ऐसी विधवा महिला जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच हो।
   - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
3. क्या लाभ मिलेगा :–
   300/– प्रतिमाह पेंशन (भारत सरकार द्वारा)
4. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 16132 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

1. योजना क्या है –
   यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के माध्यम से संचालित है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच के 80 प्रतिशत निःशक्तता वाले निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
2. पात्रता की शर्ते :–
   - ऐसी निःशक्त जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच हो।
   - गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो।
   - चिकित्स द्वारा जारी 80 प्रतिशत या इससे अधिक का निःशक्तता प्रमाण –पत्र ।
3. क्या लाभ मिलेगा :–
   300/– प्रतिमाह पेंशन (भारत सरकार द्वारा)
4. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत 2994 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

1. योजना क्या है –
   यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के माध्यम से संचालित है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया (स्त्री/ पुरूष) की मृत्यु होने पर आश्रितो को एक मुश्त सहायता करना ।
2. पात्रता की शर्ते :–
   - परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो।
   - परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाय जिसकी कमाई से ही अधिकांशतः परिवार का गुजारा होता हो।
   - मृत्यु दिनांक को मृत्यु सदस्य की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
   - परिवार में पति– पत्नि अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्रियां माता, पिता शामिल होगे।

3. क्या लाभ मिलेगा :–
   मृत्यु होने पर मृतक के आश्रित को रू. 20000/– का भुगतान एक मुश्त किया जाता है।
4. योजना के अंतर्गत 464 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

1. ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्याऐ है और कन्याओं के विवाह उपरांत उन दम्पत्तियों को शासन की ओर से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेशंन योजना 01.04.2013 से 500/– रूपये प्रतिमाह प्रारंभ की गई है।
2. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
3. दम्पत्ति में से किसी की एक न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो।
4. दम्पत्ति की संतान पुत्री हो, पुत्रियों का विवाह हो चुका हो।
5. दम्पत्ति आयकर दाता न हो।
6. योजना के अंतर्गत 206 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन को सहायता अनुदानः–

- यह योजना केवल ऐसे बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये आर्थिक सहायता देना है।
- 6 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक/बहुविकलांग होना चाहिये।
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता का 40 प्रतिशत हो।
  हितग्राही को 500/– रू. प्रतिमाह।
- योजना के अंतर्गत 785 हितग्राहियों को लाभांवित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :–

- जरूरत मंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता को सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- मध्य प्रदेश का निवासी हो तथा परिवार मध्य प्रदेश में निवासरत् हो।
- कन्या की उम्र 18 एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम न हो।
- कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिऐ 05 वर्ष तक के लिऐ सावधि जमा रूपये 10000/– हजार
- विवाह संस्कार के लिऐ आवश्यक सामग्री (मंगलसूत्र, बिछिया, पायजेब(चांदी के) तथा 07 बर्तन) रुपये 5000/– हजार
- कन्या की गृहस्थी की सामग्री हेतु अन्य सामग्री क्रय करने के लिऐ रुपये 7000/– हजार
- सामुहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिऐ निकाय यथा – नगरीय निकाय, ग्रामीण निकाय को व्यय की प्रतिपूति हेतु रुपये 3000/– हजार
- उक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 911 जोडों को योजना का लाभ दिया गया।

निःशक्त छात्रवृत्ति योजना :–

- निःशक्त छात्र/ छात्राओं को शिक्षण/ प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद् देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना। प्रदेश के सभी वर्ग के कक्षा 1वी से स्नातकोत्तर एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से शासकीय/ अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत् निःशक्त छात्र/ छात्राओं को निःशक्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- ऐसे निःशक्त छात्र/ छात्राऐं जिनकी निःशक्तता जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक का प्रमाण पत्र जारी किया है।
- निःशक्त छात्र/छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार है :-

छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार पात्रता की शर्ते रहेंगी

1. विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत् हो।
2. 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिनकों चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
3. उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को विशेष साधन/ उपकरण देने की योजना :-

- विभाग द्वारार निःशक्त व्यक्तियों के शारीरिक एवं सामाजिक पुनर्वास हेतु शल्य चिकित्सा एवं कृत्रिम/ सहायक उपकरण की सुविधा निःशुल्क सुलभ कराई जाती है।
- ऐसे निःशक्त जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक है तथा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- निःशक्त व्यक्ति एवं उसके परिवार की वार्षिक आय रूपये 96000/'- से अधिक न हो।
- कक्षा 12 से उच्च स्तर तक के अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्र/ छात्राओं को उनके पूरे शैक्षणिक काल में केवल एक बार टेप रिकार्ड उपलब्ध कराया जाता है किन्तु उनके अभिभावक की वार्षिक आय 96000/- से अधिक न हो ।

  योजनांतर्गत क्या लाभ मिलेगा :-

  1. ट्रायसाईकिल, 2. बैशाखी, 3. व्हील चेयर, 4. कैलीपर्स, 5. ब्लाईड स्टिक, 6. कृत्रिम पैर-हाथ, 7. श्रवण यंत्र, टेप रिकार्डर आदि ।

आम आदमी बीमा योजना :-

- यह योजना केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय विभाग की भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यसीापित विशेषकर ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये निःशुल्क जीवन बीमा योजना है।
- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला एक व्यक्ति हो सकता है।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होगें-
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75000/- रू.
- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75000 रू.
- बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000/- का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- 9वीं से 12वीं अध्ययनरत् 2 छात्रप्रति परिवार का प्रतिमाह 100/- रू. शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाऐगी।

जनश्री बीमा योजना :-

- यह योजना केन्द्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय विभाग की भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यसीापित विशेषकर ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिये निःशुल्क जीवन बीमा योजना है।

- 18 से 59 वर्ष के व्यक्ति एवं सदस्य।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीमित सदस्य।
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर अथवा दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता होने पर निम्न लाभ देय होगें–
- दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75000/– रू.
- दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता होने पर 75000 रू.
- बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व सदस्य की मृत्यु होने पर 30000/– का बीमा धन नामांकित व्यक्ति को देय होगा।
- 9वीं से 12वीं अध्ययनरत् 2 छात्रप्रति परिवार का प्रतिमाह 100/– रू. शिक्षावृत्ति शासन द्वारा प्रदान की जाऐगी।

अन्त्येष्टि सहायता :–

- अन्त्येष्टि से आशय मृतक के अंतिम संस्कार से है जो उसकी धार्मिक रीति से संपन्न किया जाता हो।
- श्रमिक संवर्ग – श्रमिक संवर्ग से आशय मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संचालित श्रमिक वर्ग की योजनाओं में पंजीकृत सदस्य अथवा लावारिस, अत्यधिक निर्धन, निराश्रित हो से है :–
  1) मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
  2) मध्यप्रदेश शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना
  3) मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना
  4) मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिऐ कल्याण योजना
  5) केश शिल्पी, कल्याण योजना
  6) मध्यप्रदेश हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना
  7) मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की संचालित योजनाऐं
  8) दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना/राज्य बीमारी सहायता/मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना
  9) आम आदमी बीमा योजना/जनश्री बीमा योजना
  10) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना/मुख्यमंत्री निकाह योजना
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- अन्त्येष्टि सहायता हेतु मृतक मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य हो।
- जिन हितग्राहियों को अन्त्येष्टि सहायता और जिन मृतकों के लिये अन्त्येष्टि सहायता उपलब्ध कराई जा रही है उनका नाम समग्र पोर्टल (समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पोर्टल) पर नाम दर्ज होगा और भुगतान की गई राशि का उसमें विवरण देना होगा।
- अन्त्येष्टि सहायता हेतु रुपये 2000/– की राशि।

निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिऐ उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता, योजना 2008 :–

- यह योजना कक्षा 10+2 की शिक्षा के पश्चात् इंजीनियरिंग/ मेडिकल/ कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित निःशक्त छात्र–छात्राओं के लिये है।
- छात्र/छात्रा की निःशक्तता कम से कम 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो।
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- छात्र/छात्रा मध्य प्रदेश स्थित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत् हो।

- निःशक्त छात्र/छात्रा के माता–पिता/पालक/अभिभावक की वार्षिक आय रू.96000/– से अधिक न हो।
- छात्र/छात्रा को शिक्षण शुल्क।
- छात्र/छात्रा को निर्वाह भत्ता 1500/– प्रतिमाह 10 माह तक।
- छात्र/छात्रा को परिवहन भत्ता। नगर निगम क्षेत्र के लिये रू.500/– प्रतिमाह 10 माह तक एवं नगर पालिका क्षेत्र के लिये रू. 300/– प्रतिमाह 10 माह तक।

निःशक्तजन अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं कें सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन योजना 2008 :–

- शासन द्वारा योजना के तहत निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक पुनर्वास की दृष्टि से मध्य प्रदेश शासन लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि अगस्त 2008 से प्रारंभ की गई है।
- मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये।
- लोक सेवा आयोग/संघ लोक सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 20000/–
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर रू. 30000/–
- अंतिम चयन होने पर रू. 20000/–
- प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर किसी अभ्यर्थी को एक ही बार देय होगी।

निःशक्तजन छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति योजना :–

- कक्षा 8वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर 9वीं में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले छात्र/ छात्राओां को उच्चतर माध्यमिक स्तर 11 वीं में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में एवं 12वी की परीक्षा 60 प्रतिशत से अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले निःशक्त छात्र/ छात्राओं स्नातक स्तर पर महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी। उक्त प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति योजना के तहत की जावेगी।
- कक्षा 8वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर।
- कक्षा 10वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर।
- कक्षा 12वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर।
- निःशक्तता प्रमाण–पत्र
- कक्षा 8वीं से 9वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर 2500/– एक मुश्त ।
- कक्षा 10वीं से 11वीं की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर 2500/– एक मुश्त ।
- कक्षा 12वीं से स्नातक की परीक्षा 60 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर 3000/– एक मुश्त ।

लीगल गार्जियनशिप (राष्ट्रीय न्याय)

- मानसिंक मंदता, स्वपरायणता प्रमस्तिष्क घात, बहुविकलांग उक्त श्रेणी के निःशक्तों को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जिला लोकल लेवल कर्मटी नेशनल ट्रस्ट द्वारा लीगल गार्जियनशिप प्रदान की जाती है।
- 18 वर्ष की ाअयु पूर्ण हो।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र ।
- माता–पिता के जीवित होने या उनके न होने पर नजदीकी रिश्तेदार।

- लीगल गार्जियनशिप के लिये 02 साक्षी जो उसके निवास के आसपास का पड़ोसी या नजदीकी से संबंधित को जानता हो ।
- उनके जीवन पर्यन्त समग्र पुनर्वास के लिये व्यवस्था ।
- कानूनी संरक्षता प्रदान करना ।
- हितग्राही के सम्पत्ति का संरक्षण

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना :–

- मानसिक निःशक्त, मानसिक मंदता, स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, बहुविकलांग उक्त श्रेणी के निःशक्तजनों को 0 वर्ष से स्वास्थ्य बीमा योजन का लाभ दिया जाता है।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र ।
- 01 लाख रूपये तक की चिन्हित अस्पताल में उपचार एवं ईलाज ।

13 वां वित्त आयोग

वर्ष 2010–11 में शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के खातों में सीधे जमा कराई जाती है ।
ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित योजनायें जैसैः–

- ग्राम पंचायत स्तर ई–गवर्नेंस की व्यवस्था
- पंचायतों मे अधोसंरचना विकास एवं परिसंपत्तियों का रख रखाव ।
- पेयजल व्यवस्था एवं जल प्रदाय योजना ।
- पंचायत भवन के कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं का विकास कार्य कराये गये ।

अनुदान के प्रोग्राम के प्रवर्तन की रीति और आवंटन रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण

- भिन्न भिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान की रीति भिन्न भिन्न होती है जो कि केन्द्र/राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों में ही निहीत होती है । दिशा निर्देश से हटकर किसी भी प्रकार का अनुदान नही दिया जाता है । अनुदान की पद्धति योजनाओं की दिशा निर्देशों मतें उपलब्ध है ।
- हितग्राहियो का विवरण जनपद स्तर पर संधारित किया गया है एवं उपलब्ध है । दी गई रियायतें/सुविधाओं, अनुज्ञा पत्रो या मंजूर किये गये प्राधिकारों को प्राप्त करने वालो की प्रविशिष्टयां

दी गई रियायतें/सुविधाओं अनुज्ञा पत्रो या मंजूर किये गये प्राधिकारो की प्राप्त करने वालो की प्रविशिष्टयां

- योजना अनुसार हितग्राहियों, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों को ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के संचालन हेतु रियायतें/सुविधायें दी जाती है से संबंधित अभिलेख योजनावार कार्यालय में उपलब्ध है ।

धारित इलेक्ट्रानिक्स फार्म में सूचना के बारे में विवरण

- समस्त योजनाओं के साथ साथ अन्य जानकारियां भी कम्प्यूटराईज की गई है एवं समस्त अभिलेख कम्प्यूटर पर तैयार करने के पश्चात उन्हे इलेक्ट्रानिक्स रूप से सुरक्षित रखा जाता है एवं आवश्यकता पडने पर सूचनाये उपलब्ध हैं ।

अभिलेखो की सूची तथा उसका वर्गीकरण

क्र	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार जैसे माइक्रो फिल्म,रजिस्टर, पुस्तक फ्लापी	अभिलेखो की प्रकृति विववरण
1	समस्त योजना की स्वीकृति संबंधी नस्तियां	नस्तियां	स्वीकृत कार्यो की सूची का रजिस्टर संधारण
2	समस्त योजना की लेखा संबंधी	नस्तियां	स्वीकृत कार्यो की राशि जारी

	नस्तियां		करने का कार्यवार विवरण
3	अन्य विविध नस्तियां	नस्तियां	विभिन्न दिशा निर्देश एवं बैठको संबंधी नस्तियां का संधारण
4	केशबुक	रजिस्टर	समस्त योजनाओं का आय व्यय का विस्तृत विरिण
5	लेजऱ	रजिस्टर	समस्त योजनाओं हेतु प्रदाय राशि का एजेन्सीवार विस्तृत विवरण
6	स्टॉक रजिस्टर	रजिस्टर	कार्यालय में उपलब्ध समस्त सामग्रियों का वस्तुवार विवरण
7	चैकबुक एवं बैंक संबंधी अन्य रिकार्ड	च्किबुक एवं बैंक पासबुक	बैंको में जमा राशि एवं आहरित राशि का विवरण

अधिनियम, रेगुलेशन, मैन्युअल की सूची

अधिनियम

- पंचायत राज अधिनियम 1993
- राज्य शासन द्वारा जारी समस्त गजट
- सूचना का अधिकार अधिनियिम 2005
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम–2005

रेगुलेशन

मैन्युअल

- एस.जी.एस.वाय.योजना की भारत सरकार की गाईड लाईन
- वाटरशेड, हरियाली परियोजना की भारत सरकार की गाईड लाईन
- इंदिरा आवास योजना की भारत सरकार की गाईड लाईन
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की गाईड लाईन
- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना की भारत सरकार की गाईड लाईन
- 12वां एवं 13वां वित्त आयोग की राज्य सरकार की गाईड लाईन
- मूलभूत सुधार कार्य की राज्य सरकार की गाईड लाईन
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की गाईड लाईन
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की गाईड लाईन
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की गाईड लाईन
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–म.प्र.

आवेदन की तैयारी कैसे करें ?

1. आवेदक सूचना लेने के लिये आवेदन लोक सूचना अधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी को देना होगा

2. आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क रू. 10/– जमा करना होगा (नॉन ज्यूडीशियल पेपर/संबंधित कार्यालय से रसीद कटावें)

3. मांगी जा रही जानकारी का विवरण देना आवश्यक होगा, लेकिन यह बताना जरूरी नही होगा कि वह सूचना क्यो मांग रहा है और न ही लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी इस बावत पूछताछ करेगा

4. आवेदन पर स्थायी पता देना आवश्यक होगा।

चाही गई जानकारी मिलने की समय सीमा लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगे जाने पर

1. 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान करेगा यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटो के अंदर सूचना को उपलब्ध कराना होगा।
2. आवेदन निरस्त किया जाता है,तो लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का यह कर्तव्य होगा की वह आवेदक को आवेदन निरस्त करने का कारण बताऐं तथा वह समयसीमा भी बताऐ जिसके भीतर अपील की जा सकेगी एवं आवेदन निरस्त होने के बाद अपील कहा की जाएगी उस व्यक्ति का नाम व पता भी बताना होगा।

अगर मांगी गई जानकारी समय पर न मिले तोः–

ऐसी स्थिति में आवेदक को निर्धारित समय सीमा के बाद इसकी शिकायत अपीलीय अधिकारी से करनी चाहिए। आवेदक को आवेदन देते समय आवेदन की एक अन्य प्रति पर रसीद प्राप्त करें।

नागरिकों के लिये जिला पंचायत रायसेन द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिये उपलब्ध सुविधायें

- सूचना पटल्
  दस्तावेजों को प्राप्त करने की व्यवस्था
- अभिलेखों का निरीक्षण
- जिला पंचायत रायसेन की वेबसाईट .....

लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का नाम

क्र.	कार्यालय का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	जिला पंचायत रायसेन	श्री रमेश यादव, परियोजना अर्थशास्त्री	श्री एस.डी.खरे, जिला परियोजना प्रबंधक	श्री स्वरोचिष सोमवंशी मु.का. अधि.

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदन/शुल्क,लागत एवं अपील

आवेदन शुल्क	*दस रूपये*

भुगतान का तरीका	नगद जिसके बदेले रसीद मिलेगी/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प
ए–4, ए–3 कागज	दो रूपये प्रति पृष्ठ
बडा कागज	वास्तविक लागत
प्रकाशन या छपा फार्म	फोटोकापियों की वास्तविक लागत
फ्लापी/डिस्क/वीडियों कैसेट	लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत शुल्क
अभिलेखों का निरीक्षण	प्रथम एक घण्टा या उससे कम के लिये रू 50/– उसके बाद के हर 15 मिनट के लिये रू.25/–

अपील शुल्क

अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील	रूपये 50/–
राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील	100/–

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वार्षिक प्रतिवेदन (वार्षिक प्रतिवेदन 2014–15)
(लोक प्राधिकारी वार प्राप्त आवेदनो की जानकारी)

प्रपत्र–"अ"

क्र.	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 01.04.2014 को लंबित आवेदन की संख्यां	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि में निराकृत आवेदनों की संख्या	दिनांक 31.03.2015 को लंबित आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों में से ऐसे आवेदनों की संख्या, जिसमें जानकारी देने से मना किया गया	वर्ष में सूचना अधिकारियों द्वारा वसूल की गई राशि का विवरण			
									आवेदन पत्र के साथ प्राप्त निर्धारित शुल्क की राशि	स्टाम्प के रूप में	सूचना प्रदान करने हेतु वसूल की गई राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जिला पंचायत रायसेन	श्री अनुराग चौधरी मु.का.अधि.जि.	निरंक	34	34	34	0	0	70	260	204	534
2	जनपद पंचायत सॉची	श्री शोभित त्रिपाठी मु.का. अधि.	निरंक	5	5	5	0	0	10	0	1552	1562
3	जनपद पंचायत गैरतगंज	श्री राजेश सोनी मु.का. अधि.	निरंक	6	6	6	0	0	0	0	96	96
4	जनपद पंचायत बेगमगंज	श्री डी.आर.एस. राणा मु.का. अधि.	निरंक	9	9	9	0	0	0	0	0	0
5	जनपद पंचायत सिलवानी	श्री प्रवीण इवने मु.का.अधि.	निरंक	3	3	3	0	0	30	0	0	30
6	जनपद पंचायत बाडी	श्री राजेन्द्र यादव मु.का. अधि.	निरंक	26	26	26	0	0	0	260	555	815
7	जनपद पंचायत उदयपुरा	श्री राजू मेढा मु.का.अधि.	निरंक	1	1	1	0	0	0	0	0	0
8	जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज	श्री विजय श्रीवास्तव मु. का.अधि.	निरंक	3	3	3	0	0	30	0	0	30
	योग			87	87	87	0	0	140	520	2407	3067

(लोक प्राधिकारी वार प्रथम अपीलीय अधिकारियो को प्राप्त अपीलो की जानकारी)

प्रपत्र "ब"

क्र.	विभाग का नाम	विभाग के अंतर्गत/सम्बद्ध लोक प्राधिकारी का नाम	दिनांक 01.04.14 को लंबित अपीलों की संख्यां	दिनांक 01.04. 2014 से 31.03. 2015 तक प्राप्त अपीलों की संख्या	योग	दिनांक 01.04. 2014 से 31.03. 2015 की अवधि में निराकृत अपीलों की संख्या	दिनांक 31. 03.2015 को लंबित अपीलों की संख्या	अपील के माध्यम से निर्धारित शुल्क की राशि (स्टाम्प के रूप में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला पंचायत रायसेन	श्री अनुराग चौधरी मु.का.अधि.जि.	0	8	8	8	0	400
2	जनपद पंचायत सॉची	श्री शोभित त्रिपाठी मु.का.अधि.	0	0	0	0	0	0
3	जनपद पंचायत गैरतगंज	श्री राजेश सोनी मु.का.अधि.	0	0	0	0	0	0
4	जनपद पंचायत बेगमगंज	श्री डी.आर.एस. राणा मु.का.अधि.	0	0	0	0	0	0
5	जनपद पंचायत सिलवानी	श्री प्रवीण इवने मु. का.अधि.	0	2	2	2	0	0
6	जनपद पंचायत बाडी	श्री राजेन्द्र यादव मु.का.अधि.	0	1	1	1	0	0
7	जनपद पंचायत उदयपुरा	श्री राजू मेढा मु. का.अधि.	0	0	0	0	0	0
8	जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज	श्री विजय श्रीवास्तव मु.का. अधि.	0	0	0	0	0	0
योग–			0	11	11	11	0	400

(लोक प्राधिकारी वार आयोजित प्रशिक्षणो की जानकारी)

प्रपत्र ''स''

क.	विभाग का नाम	सूचना के अधिकार अधिनियम हेतु आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या			प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या		
		प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग	प्रशासन अकादमी में	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला पंचायत रायसेन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2	जनपद पंचायत सॉची	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3	जनपद पंचायत गैरतगंज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4	जनपद पंचायत बेगमगंज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5	जनपद पंचायत सिलवानी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6	जनपद पंचायत बाडी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7	जनपद पंचायत उदयपुरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8	जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(लोक प्राधिकारी वार राज्य शासन से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओ की जानकारी)

प्रपत्र ''द''

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	संस्था का नाम एवं पता
1	2	3
1	जिला पंचायत रायसेन	निरंक
2	जनपद पंचायत सॉची	निरंक
3	जनपद पंचायत गैरतगंज	निरंक
4	जनपद पंचायत बेगमगंज	निरंक
5	जनपद पंचायत सिलवानी	निरंक
6	जनपद पंचायत बाडी	निरंक
7	जनपद पंचायत उदयपुरा	निरंक
8	जनपद पंचा. औबेदुल्लागंज	निरंक

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम.....

2. पूरा पता/ई–मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित किया जाना है.....
3. दूरभाष क्रमांक.....
4. आवेदन देने की दिनांक
5. कार्यालय का नाम.....
6. चाही गई जानकारी का विवरण.....
7. क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/ प्रमाणित नमूना.....
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फीस रू. 10/–नगद/स्टाम्प (बी.पी.एल सूची के सदस्यों को देय नही) रसीद क्र... एवं दिनांक.....
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे अथवा नही..... हां/नही यदि हां तो बी.पी.एल.सूची का अनुक्रमांक.....

टीपः–यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है, तो आवेदन पत्र पर रूपये 10/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रषित करें।

– –

पावती

आवेदन प्राप्त होने की दिनांक.....

.

1. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने की दिनांक.....
2. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी । (लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

(पदनाम रबर सील)